न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–459/2026

CNR No.UPRP010034412026

(पंजीयन सं० 787/2026)

प्रेमपाल पुत्र धर्मवीर, निवासी ग्राम हरैया, थाना मिलक, जिला रामपुर, उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

धारा–105, 281 बी०एन०एस०
थाना–मिलक, जिला रामपुर
अ०सं० 153/2026

आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी प्रेमपाल की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता देवेन्द्र ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त/प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में योजित नहीं किया है और न ही लम्बित है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया है। अभियुक्त / प्रार्थी दिनांक 18–05–2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध है। अभियुक्त/प्रार्थी निर्दोष है तथा उसे मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। कथित मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–281, 106(1)बी०एन०एस०में दर्ज की गयी थी, बाद में अभियुक्त प्रार्थी के पास गाड़ी चलाने का वैध लाईसेंस न होने के कारण धारा 106(1)के स्थान पर धारा–105, 281 बी०एन०एस० में अभियुक्त/प्रार्थी का चालान कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्त/प्रार्थी कथित ट्रैक्टर का पंजीकृत स्वामी है तथा घटना के समय अभियुक्त/प्रार्थी कथित ट्रैक्टर नहीं चला रहा था और न ही उससे कोई दुर्घटना हुई है, बल्कि पंजीकृत स्वामी होने की वजह से पुलिस द्वारा घर से पकड़ कर मुकदमा उपरोक्त में नामित कर दिया है। कथित घटना सन्देहास्पद परिस्थितियों में दिखायी गयी है, जिसका कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त /प्रार्थी द्वारा कोई भी घटना कारित नहीं की गई है। कथित अपराध 10 साल तक की सजा तक का है तथा दुर्घटना में बी०एन०एस० की धारा–106(1) ही लागू होती है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कथित घटना दुर्घटना के सम्बन्ध में है और किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर ऐसी घटना कारित नहीं की गई है। अभियुक्त/ प्रार्थी पूर्व सजायफ्ता नहीं है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है। अभियोग झूठे तथ्यों पर पंजीकृत कराया गया है। उनका तर्क है कि इस मामले में अभियुक्त / प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग दिनांक 17–05–2026 को बी०एन०एस० की धारा– 281, 106(1) में पंजीकृत कराया गया था। दौरान विवेचना अभियुक्त/प्रार्थी

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.06.01 17:14:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पर वैध चालक लाईसेंस न होने के आधार पर और मुख्यालय पुलिस महानिदेशक , उ०प्र० द्वारा जारी पत्र संख्या–डीटी–937/2021 दिनांक लखनऊ फरवरी 2021 के आधार पर उसके अभियोग में बी०एन०एस० की धारा–106(1) के स्थान पर अभियोग में धारा–105 की वृद्धि/परिवर्तित किया गया है। उनका तर्क है कि कोई भी पुलिस प्राधिकारी पत्र के माध्यम से किसी भी आपराधिक मामले की विवेचना में अभियुक्त के आशय व ज्ञान का निर्धारण नहीं कर सकता है। उनका तर्क है कि पुलिस का कोई भी प्राधिकारी यह आदेशित नहीं कर सकता कि जिस मामले में अभियुक्त के पास वाहन चलाने का लाईसेंस न हो और उसके द्वारा वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती हो,तब प्रत्येक दशा में अभियुक्त को धारा–105 बी०एन०एस०/304(II)भा०दं०सं० में ही अभियोजित किया जायेगा। उनका तर्क है कि विवेचक को ही स्वतन्त्र साक्ष्य के आधार पर वाहन चालक द्वारा की गई घटना को उस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर ही दुर्घटना होने का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। उनका तर्क है कि " दुर्घटना " और " घटना " में यही अन्तर है कि दुर्घटना बिना किसी आशय व ज्ञान के होने वाली घटना है,इसमें अभियुक्त/प्रार्थी का कोई आपराधिक आशय और ज्ञान सम्मिलित नही होता है। उनका तर्क है कि यही कारण है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–80/बी०एन०एस० की धारा–18 में उन मामलों का प्रावधान किया गया है,जिनमें अभियुक्त/प्रार्थी बिना किसी आपराधिक आशय व ज्ञान के कार्य करता है। उनका तर्क है कि इस मामले में भी अभियुक्त/प्रार्थी को अभियोग अपराध धारा–106(1) बी०एन०एस० के स्थान पर धारा–105 बी०एन०एस० में अभियोजन वृद्धि मात्र इस आधार पर की गई है कि अभियुक्त के पास चालक लाईसेंस न होने का साक्ष्य दौरान विवेचना पाया गया था।उनका तर्क है कि अभियुक्त /प्रार्थी के पास केवल चालक लाईसेंस न होना अभियुक्त के आशय व ज्ञान को प्रकट नहीं करता है। अभियुक्त /प्रार्थी के पास चालक लाईसेंस न होना भिन्न तथ्य है। उनका तर्क है कि स्वंय मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के उपरोक्त पत्र में भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि तथ्यों व परिस्थितियों से स्पष्ट हो रहा हो ,तब बिना चालक लाईसेंस वाले वाहन चालक को इस बात के ज्ञान के आधार पर दुर्घटना होना सम्भाव्य है,तभी अभियोग धारा–304ए भा०दं०सं०के स्थान पर धारा–304(II) भा०दं०सं० में प्रकरण में तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित किया जाए। उनका तर्क है कि इस मामले में अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा घटना कारित करने के ज्ञान व आशय का कोई साक्ष्य नहीं है। उनका तर्क है कि ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त/प्रार्थी पूर्व में मृतक से कोई शत्रुता रखता था और उसका आशय व ज्ञान ट्रैक्टर–ट्राली से टक्कर मारकर मृतक की मृत्यु कारित करने का था। उनका तर्क है कि बिना साक्ष्य के अभियुक्त/प्रार्थी को धारा–105 बी०एन०एस० में निरूद्ध करना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण व अवैध है। उनका तर्क है कि अभियुक्त /प्रार्थी दुर्घटना कारक वाहन का पंजीकृत स्वामी है। अभियुक्त/प्रार्थी से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। उनका तर्क है कि घटना के समय अभियुक्त/प्रार्थी से भिन्न व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था। अभियुक्त/प्रार्थी को इस अभियोग में मात्र ट्रैक्टर स्वामी होने के आधार पर अभियोजित किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनागत साक्ष्य में घटना के समय मृतक

को अपने चबूतरे पर बैठा होने के तथ्य का उल्लेख है, जबकि नक्शानजरी में दुर्घटना मुख्य रास्ते पर होना दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्घटना स्थल तथ्यों के साक्षियों के साक्ष्य का समर्थन नहीं करता है। उनका तर्क है कि अभियोजन की ओर से लगाये गये अभियोग अन्तर्गत धारा–106(1)बी०एन०एस० को मान भी लिया जाए, तब अभियोजित अपराध में अधिकतम 10 वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी की घटना में संलिप्तता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्व इस घटना से पूर्व अन्य दुर्घटना का मामला न तो अभियोजित किया गया है और न ही किसी प्रकार से दण्डित हुआ है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी के पास चालक लाईसेंस न होने के लिए अभियुक्त/प्रार्थी अधिकतम एम०वी०एक्ट के अधीन ही उत्तरदायी है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी के पास चालक लाईसस न होने के आधर पर अभियोग में वृद्वि तब तक किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती, जब तक मामले में इस तथ्य का साक्ष्य न हो कि अभियुक्त/प्रार्थी ने जानबूझकर साशय व ज्ञान के साथ उपरोक्त घटना कारित की हो।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/प्रार्थी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके पास चालक लाईसेंस नहीं था। इसलिए अभियुक्त/प्रार्थी को बी०एन०एस० की धारा–106(1) के स्थान पर धारा–105 बी०एन०एस० में अभियोजित किया गया है और अभियोग में दौरान विवेचना वृद्वि की गई है। उनका तर्क है कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा जारी पत्र संख्या –डीटी–937/2021 दिनांक लखनऊ फरवरी , 2021 में वाहन चालक के पास वैध चालक लाईसेंस न होने की दशा में चालक द्वारा दुर्घटना करने पर भा०दं०सं० की धारा–304ए के स्थान पर धारा–304(II) में अभियोजित करने का उल्लेख किया है। इसी आधार पर मामले में अभियुक्त/प्रार्थी के पास वैध चालक लाईसेंस न होने पर अभियोग की वृद्वि की गई है और अभियुक्त/प्रार्थी को धारा–105 बी०एन०एस० में अभियोजित किया गया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी को इस बात का ज्ञान था कि उसके पास चालक लाईसस नहीं है और वह वाहन चालने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

उभयपक्षों के तर्को को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा अमरपाल सागर की ओर से दिनांक 17–05–2026 को इस आशय से पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुआ कि दिनांक 17–05–2026 को समय करीब दोपहर 3.30 बजे वादी मुकदमा का बड़ा भाई नन्दराम पुत्र फकीरचन्द उम्र करीब 60 वर्ष अपने घर सामने रोड के किनारे बने चबूतरे पर बैठे थे, तो गाँव नौरह की तरफ से वादी मुकदमा के गाँव का प्रेमपाल पुत्र धर्मवीर, निवासी ग्राम हरैय्या, थाना मिलक, जिला रामपुर अपने ट्रैक्टर ट्राली महिन्द्रा 585 को बहुत तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और वादी मुकदमा के भाई के टक्कर मार दी, जिससे अभियुक्त/प्रार्थी अपने भाई नन्दराम को सरकारी अस्पताल मिलक लेकर आया, वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामले में अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्व अभियोग अन्तर्गत धारा–106(1), 281 बी०एन०एस० में पंजीकृत होना अभियोजन प्रपत्रों में प्रकट है। अभियुक्त/प्रार्थी के

विरूद्ध मात्र ट्रैक्टर–ट्राली चलाने का चालक लाईसेंस न होने के आधार पर अभियुक्त/ प्रार्थी के विरूद्ध अभियोग में धारा–106(1) के स्थान पर धारा–105 बी०एन०एस० की वृद्धि किया जाना अभियोजन प्रपत्रों में प्रकट किया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा मृतक को जानबूझकर आशय सहित व ज्ञान से टक्कर मारकर उसकी मृत्यु करने के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य दौरान विवेचना प्रकट नहीं है।नक्शानजरी में दर्शित घटनास्थल, तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य से भिन्न होने का तथ्य अभियोजन प्रपत्रों में प्रकट है। अभियुक्त/ प्रार्थी की पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य,परिस्थितियों एवं अभियोजित अपराध में दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्ष्य के गुणावगुण पर जाए बिना अभियुक्त/ प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त/प्रार्थी को रू.1,00,000/–का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू–पत्र सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किए जाने पर, जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 01–06–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545